



प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 21/01/2021 को थाना राठ जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 32/2021 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में नामजद अभियुक्त रहमत पुत्र शमशेर खां निवासी सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी।